न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 27/2017/टीए

मांगीलाल पिता कालूराम ब्राह्म्ण
निवासी नंगावली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. सुशीला बेवा बृजमोहन ब्राह्म्ण
2. चेतनप्रकाश पिता बृजमोहन ब्राह्म्ण
3. सुनीता पिता बृजमोहन ब्राह्म्ण
   सभी निवासी नंगावली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
4. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय आदेश उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
दिनांक 19.06.2017 प्रकरण सं. 56/2016

उपस्थित – 1. श्री मदन त्रिपाटी– अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सुशील शुक्ला – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1 से 3

निर्णय दिनांक– 24.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि गांव नंगावली मे खतोनी संख्या 555 मे दर्ज आराजी संख्या 55 रकबा 0.4400 है0 आराजी संख्या 712 रकबा 0.3400 है आराजी संख्या 2338/1122 रकबा 0.1600 है0 आराजी संख्या 2339/1122 रकबा 0.4300 है. आराजी संख्या 2370/1159 रकबा 0.4300 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.800 है0 कुल लगानी 23.00 रू. स्थित है इसी तरह गांव नंगावली मे स्थित खतोनी संख्या 554 मे दर्ज आ. स. 1906/61 रकबा 0.200 है0 आराजी संख्या 1918/68 रकबा 0.8600 है0 आराजी संख्या 2344/1122 रकबा 0.4300 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.5100 है0 कुल लगानी 6.75 रू. स्थित होकर उक्त सभी आराजीयात को आगे चलकर वादग्रस्त आराजीयात कहा गया है। इसी प्रकार गांव सांगरिया मे खतोनी संख्या 130 मे दर्ज आ.स. 496,497,628/495 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4259 कुल लगानी 2.42 रू. स्थित है एवं इसी प्रकार गांव तितरडा मे

स्थित खतोनी संख्या 212 मे दर्ज आराजी संख्या 471/178, 653/178, 653/178 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2270 है0 कुल लगानी 1.10 रू. स्थित होकर उक्त आराजीयात आगे चलकर वादग्रस्त आराजीयात कहा गया है। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 प्रार्थी के भाई बृजमोहन के वारिसान है, बृजमोहन की मृत्यु दिनांक 11.08.2014 को हो गयी थी, चूंकि प्रार्थी के काका लक्ष्मीलाल त्रिपाटी के कोई संतान नही थी जिससे उन्होने अपने जीवनकाल मे श्री बृजमोहन को उसकी 10 साल उम्र मे उसके जन्मदाता माता पिता की सहमति से सामाजिक रस्म रिवाज के पंच इकठ्ठा कर पंचो की मौजुदगी मे गोद ले लिया तब से बृजमोहन लक्ष्मीलाल त्रिपाटी के दत्तक पुत्र के रूप जाना जाता रहा है। विपक्षीगण का वादग्रस्त आराजीया तमे कोई हक व अधिकार नही है। बृजमोहन की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया जिसमे भी पिता का नाम लक्ष्मीलाल दर्ज है यानि बृजमोहन के सभी प्रकार के सरकारी दस्तावेजो मे उसके पिता का नाम लक्ष्मीलाल ही अंकित किया गया है तथा विपक्षीगण लक्ष्मीलाल की सम्पत्ति मे विरासत से मालिक काबिज है जिससे बृजमोहन का उसके जन्मदाता माता पिता की चल अचल सम्पत्ति मे कोई हक नही बनता है इसके बावजूद राजस्व अधिकारियो की भूल से प्रार्थी के पिता स्व. कालूराम जी के विरासती इन्तकाल मे प्रार्थी के साथ–साथ बृजमोहन का नाम भी लग गया जिसका अवैध लाभ उठाकर बृजमोहन की मृत्यु के बाद खोले गये विरासती इन्तकाल के समय विपक्षीगण ने उसका असल मृत्यु प्रमाण पत्र छिपाकर गलत शपथ पत्र देकर उसे गलत रूप से कालूराम पुत्र बताकर विरासती इन्तकाल संख्या 3084 एवं 545 व 961 खुलवाकर वादग्रस्त आराजीयात मे अपना नाम लगवा दिया। कालूराम की मृत्यु के बाद विरासती इन्तकाल संख्या 155, 403 एवं 21 तथा बृजमोहन की मृत्यु के बाद विरासती इन्तकाल संख्या 3084, 545, एवं 961 को निरस्त किया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 1 से 3 तक मे दर्ज वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की तन्हा स्वामित्व एवं खातेदारी की घोषित की जावे।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार ही नही किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबुत का भी अवलोकन नही किया तथा दिनांक 06/07/2017 को पारित आदेशिका का भी गलत विवेचन किया है। दिनांक 26/07/2016 को विपक्षीगण की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत हुआ था जिससे पत्रावली उक्त आवेदन के जवाब बहस मे नियत की गई थी इस कारण मूल प्रार्थना पर

बहस होने का प्रश्न ही नही था। अधीनस्थ न्यायालय को दोनो पक्षो को सुनकर प्रकरण का गुणावगुण पर सुने बिना व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो पर गौर किये बिना आदेशिका दिनांक 06/07/2017 को गलत एवं अतार्किक विश्लेषण कर अपीलान्ट को सुनवायी को अवसर दिये बिना नंगावली राजस्व शिविर मे मनमाने तरीके से प्रार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे निषेधाज्ञा आदेश खारीज कर दिया, इस कारण उक्त निर्णय कायम रखने योग्य है। राजस्व शिविर की सूचना अपीलान्ट को नही थी। आदेश मे अंकित राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखले सम्बन्धी ईबारत को काट दिया गया जबकि कांट छांट पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर ही नही है, जिससे स्पष्ट होता है कि आदेश पारित करने के बाद इसमे कांट छांट कर गडबडी की गई है। दिनांक 12/07/2017 को आदेश 41 नियम 5 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश संख्या 56/2016 दिनांक 19/06/2017 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्टस को वादग्रस्त आराजीयात मे किसी भी भू–भाग पर अतिक्रमण नही करने, प्रवेश नही करने, बेदखल नही करने, रहन बिकाव बक्षीस या अन्य तरीके से अंतरित नही करने हेतु ताफैसला मूलवाद पाबन्द किया जावे।

3. वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रस्तुत कर गांव नंगावली, सांगरिया एवं तितरडा मे स्थित वादग्रस्त आराजीयात बाबत् विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की मांग की, जिस पर प्रार्थी को सुना जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06/07/2016 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा आगामी तिथि दिनांक 26/07/2017 को विपक्षीगण के जवाब हेतु नियत की गई , विपक्षीगण दिनांक 26/07/2017 को न्यायालय मे असालतन वकालतन उपस्थित हुए परन्तु उन्होने कोई जवाब प्रस्तुत नही किया, बल्कि धारा 151 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत कर स्थगन आदेश निरस्त कराने की मांग की। राजस्व कैम्प ग्राम नंगावली मे दिनांक 19/06/2017 को लगा, जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नही मिली। राजस्व कैम्प मे अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुशीला को एक पक्षीय सुनकर स्थगन आदेश निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 212 आरटीएक्ट के तहत प्रकरण का अंतिम निस्तारण

प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति आदि तीनो बिन्दुआ का विवचेन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर गुणावगुण पर करना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनो बिन्दुओ पर कोई विवेचन नही किया। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 प्रार्थी के भाई बृजमोहन के वारिसान है, बृजमोहन की मृत्यु दिनांक 11.08.2014 को हो गयी थी, चूंकि प्रार्थी के काका लक्ष्मीलाल त्रिपाटी के कोई संतान नही थी जिससे उन्होने अपने जीवनकाल मे श्री बृजमोहन को उसकी 10 साल उम्र मे उसके जन्मदाता माता पिता की सहमति से सामाजिक रस्म रिवाज के पंच इकठ्ठा कर पंचो की मौजुदगी मे गोद ले लिया तब से बृजमोहन लक्ष्मीलाल त्रिपाटी के दत्तक पुत्र के रूप जाना जाता रहा है। विपक्षीगण का वादग्रस्त आराजीया तमे कोई हक व अधिकार नही है। अपीलान्ट के हक मे प्रथम दृष्टया मामला साबित होता है तथा सुविधा का संतुलन का बिन्दु अपीलान्ट कें पक्ष मे है ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया तो वे वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलान्ट के जायज हक अधिकार को छिनने मे सफल हो जावेगे। वकील अपीलान्ट ने आरएडब्ल्यु 2006 (1) आरजे 397, एवं 2009 (1) आरआरटी 141 आदि नजीरो का भी अवलोकन करवाया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण के मूल मे स्व. कालूराम के द्वारा विरासत मे छोडी गई भूमि ग्राम सांगरिया ग्राम नंगावली ग्राम तितरडा तहसील डूंगला के सम्बन्ध मे प्रस्तुत की गई थी एवं अपीलार्थी के अपने प्रकरण मे स्व. बृजमोहन को कालूराम का पुत्र न बताते हुए स्वं. लक्ष्मीलाल का दत्तक पुत्र अंकित किया है जिसके सम्बन्ध मे पूर्व मे विवाद चले है। प्रार्थी अपीलार्थी एवं विपक्षी के पिता एवं पति भी पक्षकार थे एवं सन् 1988 मे उपरोक्त खातेदारी भूमि मे 1/2 हिस्सा स्व. बृजमोहन के हिस्से मे स्व. कालूराम का पुत्र होने के नाते नामान्तरण हुआ है। दत्तक ग्रहण के विवादो को सुनने का अधिकार आप न्यायालय को प्राप्त नही है एवं दत्तक ग्रहण एवं गोदनामे के सम्बन्ध मे श्रवणाधिकार मात्र जिला एवं सिविल न्यायालय को ही है। रेस्पोडेन्ट के पति एवं स्व. बृजमोहन एवं स्व. लक्ष्मीलाल की पुत्री भगवती देवी उर्फ शान्ता देवी के मध्य सन् 1989–1990 से लेकर बृजमोहन के जीवनकाल तक सहायक कलेक्टर बडीसादडी डूंगला निम्बाहेडा राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ़ एवं राजस्व मण्डल अजमेर तक मुकदमे चले है। मुकदमा नम्बर टीए 65/2007 बृजमोहन बनाम भगवती देवी राजस्व अपील प्राधिकारी

चित्तौडगढ ने समस्त न्यायालय व निर्णयो का सार लिखते हुए यह टिप्पणी है कि गोद पुत्र होने का निर्धारण राजस्व न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता और वैसे भी गोद सम्बन्धी विवाद का निस्तारण राजस्व न्यायालय द्वारा नही होकर केवल सिविल न्यायालय को ही अधिकारिता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19/06/2017 के आदेश पारित करने मे किसी भी प्रकार की कोई भूल नही की है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

6. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो एवं रिकार्ड का अवलोकन किये बिना स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निर्धारत तीन बिन्दुओ का गुणावगुण पर निर्धारण किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी डूंगला द्वारा प्रकरण संख्या 56/2016 मे पारित निर्णय, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, दिनांक 19/06/2017 खारीज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़